म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

09

क्रमांक / बी–1 / 1 / ग / 56 / 65 भोपाल दि 10

आदेश

म0 प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 81 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संचालक मंडल बोर्ड की 116 वीं बैठक दिनांक 26.10.10 के अतिरिक्त प्रस्ताव क्रमांक–12 में पारित निर्णय के अनुपालन में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम–1998, के विनियम 05, 06, 11, 14 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन स्थापित किया जाता है :–

वर्तमान प्रावधान
अनुसूची–07

क्र.	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	जिस संवर्ग से पदोन्नति की जानी है उसका विवरण तथा नियत पद संख्या	पदोन्नति के लिए अर्हताऐं।	पदोन्नति समिति टीम के सदस्यों का विवरण
01	02	03	04	05
24	सहायक वर्ग–3	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	1. 05 वर्ष की सेवा 2. हायर सेकन्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण 3.म0 प्र0 टायपिंग बोर्ड से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। नोट :–45 वर्ष से अधिक की आयु वाले सेवक को अर्हता क्रमांक 03 में छूट रहेगी।	1– संयुक्त संचालक (कार्मिक) 2– उप संचालक (कार्मिक) 3– उप संचालक (प्रशासन)

प्रतिस्थापित प्रावधान
अनुसूची–07

क्र.	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	जिस संवर्ग से पदोन्नति की जानी है उसका विवरण तथा नियत पद संख्या	पदोन्नति के लिए अर्हताऐं।	पदोन्नति समिति टीम के सदस्यों का विवरण
01	02	03	04	05

24	सहायक वर्ग–3	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	1. 05 बर्ष की सेवा 2. हायर सेकन्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण 3. म0 प्र0 टायपिंग बोर्ड से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 4. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा :– 1/ Diploma from all Universities recognized by UGC 2/ Diploma from all Open Universities recognized by UGC 3/ Diploma level examination from DOEACC. 4/ Modern Office Managment Course from Govt.Polytechnic CoLiege. नोट :– 1– 45 बर्ष से अधिक की आयु वाले सेवक को अर्हता कमांक 03 में छूट रहेगी।	1– संयुक्त संचाल[illegible] (कार्मिक) 2– उप संचालक [illegible] 3– उप संचालक [illegible]

टीप :– ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता रखते है, को उक्त पद पर दो बर्ष की परीक्षण अवधि पर इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जावे कि इस अवधि में उन्हें मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण के साथ–साथ अर्हता कमांक 04 में उल्लेखित किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, यदि इस अवधि नें कोई उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसकी परीक्षण अवधि आगे तीन बर्ष बढाई जा सकेगी किन्तु ऐसे मामले में कुल परीक्षण अवधि 03 बर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि 05 परीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं की जाती है तो उसे उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

यह संशोधन दिनांक 26.10.2010 से प्रतिस्थापित होगा।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

JAIN-4

11

क्रमांक / बी–1 / 1 / ग / 56 / 66 भोपाल दिनांक 04/ 12 / 10

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक माननीय कृषि मंत्री सह अध्यक्ष, मंडी बोर्ड भोपाल।

2– निज सहायक प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल।

3 अपर संचालक / संयुक्तसंचालक / मुख्यअभियंता / अधीक्षण यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।

4 उपसंचालक / कार्यपालन यंत्री / सहायक संचालक (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय भोपाल / इन्दौर / उज्जैन / सागर / जबलपुर ग्वालियर / रीवा।

5 लेखाधिकारी / सहायक संचालक / अनुभाग अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

6 सूचना पटल / आदेश नस्ती / बोर्ड बैठक शाखा / पटल प्रभारी (समस्त) सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल